राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

दिनेश बनाम दीपक अग्रवाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1308/2025	
17/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19/11/2025 को पेश हो।	
19/11/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/06/2025 पारित करते हुये तहसीलदार चौमु को मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए खाता संख्या 958 में वादीगण का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर हिस्सा 2059/90000 भाग घोषित करते हुये तदनुसार एवं खाता संख्या 607 की आराजी विवादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार सभी पक्षकारो के रहवास/मकानात एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कब्जे काश्त के आधार बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स तकासमाँ किये जाने के आदेश प्रदान किये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने के पश्चात भी अपीलार्थी को कभी भी नोटिस जारी नही किया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14/05/2025 को अपीलार्थी के नोटिस अखबार में साया किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20/06/2025 को अपीलार्थी द्वारा अंडरटेकिंग दिये जाने के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का पक्ष सुने बगैर ही प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/06/2025 पारित किये जाने में तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अत: अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों का संज्ञान लेकर विधि के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये ही अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो सही है। अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में केवल मात्र तामील की आपत्ति प्रस्तुत की गयी है परन्तु उनके द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री के गुणावगुण पर कोई ठोस आपत्ति जाहिर नही की गयी है। कानूनन तामील के बिन्दु का निस्तारण आदेश 09	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

दिनेश बनाम दीपक अग्रवाल

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	

नियम 13 के प्रार्थना पत्र के माध्यम से ही किया जा सकता है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी अभी लम्बित है, ऐसेमें अपीलार्थी द्वारा केवल मात्र विभाजन को रोकने के उद्धेश्य से यह अपील पेश की गयी है। अत: अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से ख़ारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से रेस्पो. द्वारा की गयी बहस उचित प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से उसमे कोई विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का समुचित अध्ययन कर विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/06/2025 में कोई त्रुटी प्रतीत नही होने से उन्हें यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर